

झारखण्ड सरकार  
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,  
पाकुड़ एवं रामगढ़।

राँची, दिनांक: 30.03.2026

विषय: राज्य स्कीम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वास्थ्य विभाग के अधीनस्थ अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों/संस्थानों/कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के तहत विभिन्न श्रेणी की सेवाओं को प्राप्त करने पर व्यय के भुगतान के निमित्त आवंटित राशि की वापसी/प्रत्यर्पण के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

2. विषयांकित मद के अन्तर्गत कुल 2,73,28,099/- (दो करोड़ तिहत्तर लाख अठाईस हजार निन्यानबे) रूपए मात्र की आवंटित राशि को कतिपय कारणों से निम्नानुसार वापस लिया/प्रत्यर्पण स्वीकृत किया जाता है:-

क्र०	जिला का नाम	बजट शीर्ष	वापसी हेतु स्वीकृत राशि	सिविल सर्जन का पत्रांक दिनांक
1	पाकुड़	बजटशीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-69-सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, लेबोरेट्रीज कार्यालयों, डायग्नोस्टिक सेन्टर्स एवं अन्य संस्थानों (मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर) के लिए आउटसोर्सिंग-01-स्वास्थ्य सुविधाओं, संस्थानों जिलों और मुख्यालय में सेवाओं की विभिन्न श्रेणी की आउटसोर्सिंग-03-प्रशासनिक व्यय-29-व्यावसायिक सेवाएँ (विपत्र कोड-20 एस 2210-01-110-69-01-03-29)	18,49,659	पत्रांक-360 दिनांक-25.03.2026
2	रामगढ़	बजटशीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-69-सभी अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, लेबोरेट्रीज कार्यालयों, डायग्नोस्टिक सेन्टर्स एवं अन्य संस्थानों (मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर) के लिए आउटसोर्सिंग-01-स्वास्थ्य सुविधाओं, संस्थानों जिलों और मुख्यालय में सेवाओं की विभिन्न श्रेणी की आउटसोर्सिंग-03-प्रशासनिक व्यय-29-व्यावसायिक सेवाएँ (विपत्र कोड-20 एस 2210-01-110-69-01-03-29)	2,54,78,440	पत्रांक-239 दिनांक-25.03.2026
कुल			2,73,28,099	

3. स्वीकृत वापस ली गई राशि/प्रत्यर्पित राशि को आय-व्ययक के कुल उपबंधित राशि के शेष राशि में जोड़ दिया जाएगा।
4. इसकी सूचना प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग, झारखण्ड/संबंधित कोषागार को दी जा रही है।

(अजय कुमार सिंह)  
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)  
संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक: 84(5) प्रो०

राँची, दिनांक: 30.03.2026

प्रतिलिपि:

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची।
2. माननीय मंत्री के आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
3. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
4. संबंधित कोषागार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Ajaya*

(अजय कुमार सिंह)  
अवर सचिव

(ललित मोहन शुक्ला)  
संयुक्त सचिव

*Ajaya*  
(अजय कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव

84(5) प्रो०  
30.03.2026